नई 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' क्या यह किसानों के त्रास का अन्त है?

– प्रो. पी.एस. नागपाल

हरित क्रान्ति ने देश को अन्न के संकट से काफी हद तक उबारकर आयात के बोझ को घटाया। फसलों के लिये ऋण दिये गए और ऋण वसूली निश्चित करने हेतु फसल बीमा की व्यवस्था की गई। काफी समय तक देश का ध्यान इस और नहीं गया कि सतही तौर पर ठीक–ठाक दिखने वाली पहली तीन बीमा योजनाएँ किसान के असली नुकसान की पूर्ति नहीं कर पातीं। यह तथ्य तब अधिक उजागर हो गया जब पिछले दो दशकों में हजारों किसानों की आत्म हत्याओं के आँकड़े सामने आए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (N.A.I.S.) व परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (M.N.A.I.S.) की त्रुटियाँ सामने आई। परन्तु किसी आमूल परिवर्तन की इच्छा शक्ति किसी सरकार के पास नहीं थी। कृषि का विषय राज्य सरकारों का होते हुए भी जो साहसिक पहल वर्तमान भारत सरकार ने की है वह उसका सही दिशा में कदम ही नहीं – एक लम्बी छलांग है।इससे केन्द्र सरकार पर रू. 8800 करोड़ का अर्थिक बोझ अनुमानित है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की औपचारिक शुरूआत इस अप्रैल से हो चुकी है, परन्तु इसकी असली परीक्षा आगामी खरीफ के मौसम अर्थात इस जून से शुरू होगी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:–

1. पहली बार कृषि बीमा को एकमात्र सरकारी कम्पनी तक सीमित न रखकर निजी क्षेत्र की दस बीमा कम्पनियों को भी शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ इस बड़े क्षेत्र का व्यापक बँटवारा होगा, बल्कि कार्य में स्पर्धा और गतिशीलता आएगी।

2. नाम के लिये अब तक की योजनाएँ कृषि बीमा कहलाती रहीं, परन्तु वास्तव में वे फसल बीमा तक ही सीमित रहीं। किसान को होने वाले अन्य जोखिमों की अब तक अनदेखी होती रही। नई फसल बीमा योजना में व्यापक आवरण का रूप देकर एक पायलट योजना 45 जिलों में लागू की गई है। इसकी सफलता के आधार पर इसका दायरा बढ़ाया जायगा।

3. पिछली योजनाओं में क्षतिपूर्ति पूरी नही दी जाती थी। जोखिम की श्रेणी के आधार पर उपज मूल्य में कमी का 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत तक सीमित

भुगतान किया जाता था। यह भी किसान के ऋण खाते में। नई योजना में कोई सीमा न रखकर पूर्ण क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

4. अभी तक फसल के नुकसान का आकलन आधार मूल्य से होता था, जिसे अब बाजार मूल्य पर करने का प्रावधान है।

5. इस योजना में प्रीमियम दरें न सिर्फ काफी कम कर दी गई हैं (खरीफ मौसम के लिये 2% व रबी के लिये 1.5%) बल्कि देश भर के लिये एक–सी रखी गई हैं।

किसान कर्जदार क्यों हैं?

फसल का खराब होना ही एक मात्र कारण नहीं है किसानों के ऋणी होने का। गाँव के साहूकारों से लिया हुआ ऋण भी किसानों पर भारी होता है। ऋण लेते समय किसान सभी को करार करता है कि फसल आते ही पैसे चुका देंगे। एक फसल पर इतनी आशाएँ बाँध दी जाती हैं, कि फसल खराब होते ही किसान घबरा जाता है। लोगों का सामना करने के स्थान पर आत्म हत्या की सोच बैठता है।

इस ऋण के प्रायः नीचे लिखे कारण होते हैं:–

1. परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारीः– घर में किसी की जान बचाने के लिए किसान साहूकार का दरवाजा खटखटाता है और किसी भी अमानवीय ब्याज दर पर पैसे ले लेता है। इसका एक सहज उपाय है स्वास्थ्य बीमा अथवा "Microhealth Insurance"।
2. किसी रिश्तेदार के देहांत पर मृत्युभोज। ग्रामीण संदर्भ में यह भी एक बड़ा खर्च होता है। कोई वृद्ध व्यक्ति चाहे भूख और बीमारी की परेशानी में मर गया हो, ऐसा समझा जाता है कि उसकी आत्मा की शांति गांववालो को शानदार भोजन कराने से होगी, जिसके लिए किसान कर्ज उठा लेता है।
3. परिवार में होने वाले विवाह विशेषकर लड़की के लिए इतनी राशि भारी ब्याज पर ले ली जाती है जिसे लौटाना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है।
   ऊपर वाले दोनो कारणो का उपाय जीवन–बीमा माइक्रो इन्शुरेन्स द्वारा सम्भव है। माइक्रो फाइनेन्स संस्थाओं से ऋण भी उचित ब्याज पर मिल सकता है।
   परन्तु इस प्रकार के रिवाजों पर फिजूल खर्ची को रोकने का काम सामाजिक चेतना और जागृति फैलाने से हो पाएगा और यही इसका स्थाई समाधान है, जिसके लिये सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं और हमे सभी को आगे आना होगा।
4. किसी आकस्मिक आपदा जैसे अग्नि, आँधी, तूफान, बाढ अथवा चोरी की स्थिति में हानि हो जाने पर भी किसान को ऋण लेना पड़ जाता है। इसका उपाय आम बीमा पॉलिसी द्वारा सुरक्षित किया जाना है।

किसान को उसकी उपज का पूरा लाभ क्यों नही मिल पाता?

किसान को अपनी कड़ी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता इसके भी निम्न कारण हैंः–

1. अपनी उपज को मण्ड़ी में बेचने के लिए किसान को उन परम्परागत आढ़तियों पर निर्भर होना पड़ता है, जो उसकी उपज अपने पास रखवा लेते है और चाहे जिस कीमत पर बेचते हैं। साथ ही किसान से आढ़त का पैसा भी ले लेते है। किसान के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी नही होता क्योंकि उपज को वापस ले जाने पर भी उसकी हानि ही है। आढ़तियों की इस मनमानी से बचने का एक उपाय यह है कि पंचायतें और गाँव के स्तर की संस्थाएं एक प्रणाली विकसित करें जिसे हम “Micro Marketing” कह सकते है। इसके द्वारा मंडियों से घर बैठे सम्पर्क हो सकेगा।
2. किसान के पास अपनी उपज के भण्ड़ारण का कोई साधन नहीं होता इसलिए उसे रखकर सही कीमत का इन्तजार वह नहीं कर सकता। जल्दी बेचना उसकी मजबूरी होती है, अन्यथा मौसम व कीड़ों आदि से फसल खराब हो सकती है। इसका उपाय है स्थानीय भण्ड़ारण व्यवस्था जिसे हम “Micro Warehousing” कह सकते हैं। इसके लिए पंचायत, NGO, सरकारो अथवा निजी व्यवसायो का आगे आना आवश्यक है।
3. उपज मण्डियाँ आपसी संचार से जुड़ी नही होती व सब का कामकाज अलग–अलग तरीके से व मूल्यों के अन्तर से चलता है। अभी–अभी सरकार ने प्रयास शुरू किया है कि देश भर में पाँच सौ मण्ड़ियों को तकनीकी सम्पर्क से आपस में जोड़ दिया जाए इस से कीमतों का आपसी अन्तर काफी कम हो जाना सम्भावित है।

अकेला फसल बीमा किसान को सम्पन्न नहीं बना पाएगा। आवश्यकता है किसान की दशा सुधारने के बहु–आयामी प्रयासों की। पिछले बजट भाषण में सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगले पाँच वर्षों में किसान की आय को दुगुना कर दिया जाएगा। हाल ही प्रधान मंत्री ने पाँच सदस्यों का उच्च स्तरीय पैनल बनाकर यह काम उन्हें सौंपा है। यदि सरकार ऐसी ही सकारात्मक सोच और प्रबल इच्छा शक्ति से आगे बढ़ती रही तो जल्दी ही किसानों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं।